छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण कमांक : SM-PRO-2018-00210

रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध श्री पंकज हेमराजानी, रिया वर्ल्ड ऑफ पैराडाईज, कचना, रायपुर

प्रोजेक्ट– कचना, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
05.12.18	– प्रकरण प्रस्तुत। – अनावेदक स्वयं उपस्थित। – प्रस्तुत प्रकरण में अनावेदक द्वारा रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर एवं रेरा की वेबसाईट दर्शाये बगैर, कचना, रायपुर स्थित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का बल्क एस.एम.एस के माध्यम से विज्ञापन/क्रय हेतु ऑफर प्रसारित किया गया था। – इस संबंध में अनावेदक को आहूत कर स्वयं का पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। अनावेदक ने प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जिसमें अनावेदक ने प्रमुख रूप से कथन किया है कि उनके द्वारा स्वतंत्र मकान का विज्ञापन किया गया है, जो माननीय प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार तथा श्रवणाधिकार से बाहर है। अनावेदक ने उल्लेख किया है कि उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य का स्वतंत्र मकान मौजा–कचना, तहसील व जिला–रायपुर (छ.ग.) में डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड क्रमांक–27 के अंतर्गत हाउसिंग बोर्ड कालोनी से लगकर स्थित है, जो कि नगर पालिका निगम भवन की अनुज्ञा प्रकरण पंजीयन क्रमांक–349 दिनाँक 03.11.2014 में पास किया गया है, जिसमें 5 मकान का निर्माण किया गया है। अनावेदक ने प्राधिकरण से उपरोक्त परिवाद को निरस्त करने का निवेदन किया है।	

छत्तीसगढ़ भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण कमांक : SM-PRO-2018-00210

रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध श्री पंकज हेमराजानी, रिया वर्ल्ड ऑफ पैराडाईज, कचना, रायपुर प्रोजेक्ट– कचना, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़ रायपुर	– प्रकरण का अवलोकन व परिशीलन किया। प्रकरण में अनावेदक द्वारा स्वतंत्र मकान बनाकर विक्रय किये जाने का कथन किया गया है। वस्तुतः बल्क एस.एम.एस. के माध्यम से जिस मकान का विज्ञापन प्रसारित किया गया था, वह अनावेदक के स्वामित्व व आधिपत्य का स्वतंत्र मकान है, न कि किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का अंश है। अतः विचाराधीन प्रकरण समाप्त किया जाता है। – प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे। (नरेन्द्र कुमार असवाल) सदस्य, भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर (राजीव कुमार टम्टा) सदस्य, भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर (विवेक ढाँड) अध्यक्ष, भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर	05-12-18